न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 53/2022

राहुल कुमार मिश्रा.....वादी।

बनाम्

विंध्याचली देवी वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

19.09.2023

उभय पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी के तरफ से दिनांक–21.06.2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी ने अपने वादपत्र में निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा अर्जीदावी के जमीमा नं0 3 में दर्ज विवादित भूमि प्लाट नं0 498, रकबा 20 कट्ठा में नया निर्माण शुरू करने के लिए भवन निर्माण सामग्री ईंट, बालू वगैरह एकत्रित किये हुये हैं तथा वादग्रस्त भूमि के साक्ष्य मिटाने के साथ साथ वादग्रस्त भूमि की अद्यतन स्थिति को समाप्त करने के प्रयास में लगे हुये हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता ये भी कथन करते हैं कि वादग्रस्त भूमि की अद्यतन स्थिति का अभिलेख पर आना जरूरी हो गया है तथा अनुरोध करते हैं कि किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्त कर आवेदन में दिये गये विचारण बिन्दु के आलोक में उनसे प्रतिवेदन की मांग की जाये। वादी अधिवक्ता आयुक्त की फीस जमा करने को तैयार है।

प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 वो 7 तथा 9 के तरफ से प्रतिउत्तर दिनांक– 26.07.2023 को दाखिल करते हुये प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का उक्त सवाल कानूनतः पोषणीय नहीं है तथा विलम्ब से दाखिल किया गया है तथा वादी साक्ष्य को इकट्ठा करने की नियत से यह आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादी ने अर्जीदावी के जमीमा नं0 3 की दर्ज एराजी प्रतिवादी प्रथम पक्ष का होना वो उसे प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को हस्तांतरण करना तथा उक्त हस्तांतरित केवाला को शून्य घोषित करने का मुकदमा किया है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष केवाला खरीदगी एराजी प्लाट नं0 498, रकबा 20 डी0 पर शांतिपूर्वक तरीके से दखलकार है तथा उसे अपने खरीदगी एराजी का अपने तरीके से उपभोग करने का अधिकार है। प्रतिवादीगण का ये भी कथन है

लगातार

19.09.2023

कि वादी ने इम्तनाई का सवाल भी दाखिल किया है जिसके लिए साक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं। वादी मुकदमें की कार्रवाई में विलम्ब करना चाहता है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि वादी द्वारा दाखिल उक्त आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद यह घोषित करने के लिए लाया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष विंध्याचली देवी द्वारा दिनांक– 07.05.2019 को प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम से वजूद में लाया गया केवाला दस्तावेज बिल्कुल इलिगल तथा शून्य दस्तावेज है। वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा एक इम्तनाई आवेदन भी दिनांक– 21.06.2023 को दाखिल किया गया है। चूंकि यह वाद घोषणात्मक है। यह विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति किसी पक्षकार के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए नहीं की जा सकती है। इस आवेदन से वादी अपने पक्ष में अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं। अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 21.06.2023 को खारिज किया जाता है।

वास्ते दिनांक– 10.11.23 शेष प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु।

लेखापित

(राकेश कुमार राकेश)

सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।